

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS  
(DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE)

**RAJYA SABHA**  
**UNSTARRED QUESTION NO. 1886**  
(TO BE ANSWERED ON 16.03.2023)

**OPS TO CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES**

**1886 SHRI JAVED ALI KHAN:**

Will the **PRIME MINISTER** be pleased to state:

- (a) whether DoP&PW in response to its latest reference, has received concurrence of the Department of Expenditure along with vetted O.M. to be issued, during February, 2023 to issue orders to cover those employees of Central Government under OPS whose advertisements for recruitment were issued before 01.01.2004;
- (b) if so, the details thereof;
- (c) whether consultation in this regard is now complete with every Ministry/Department concerned, including C&AG and CGA;
- (d) if so, the reasons for delay in issuing orders; and
- (e) if not, the reasons for prolonging consultation deliberately?

**ANSWER**

**MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE  
(DR. JITENDRA SINGH)**

(a) to (e): Department of Pension and Pensioners' Welfare after receipt of comments/concurrence from concerned Ministry / Departments, have issued general instructions on the issue vide OM No. 57/05/2021-P&PW(B) dated 03/03/2023. A copy of OM dated 03.03.2023 is attached as Annexure-1.

\*\*\*\*\*

No. 57/05/2021-P&PW(B)  
Government of India  
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions  
Department of Pension and Pensioners' Welfare

Lok Nayak Bhawan, Khan Market,  
New Delhi, the 03<sup>rd</sup> March, 2023


**OFFICE MEMORANDUM**

**Subject: Coverage under Central Civil Services (Pension) Rules, in place of National Pension System, of those Central Government employees who were recruited against the posts/vacancies advertised /notified for recruitment, on or before 22.12.2003.**

The undersigned is directed to say that consequent on introduction of National Pension System (NPS) vide Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. 5/7/2003-ECB & PR dated 22.12.2003, all Government servants appointed on or after 01.01.2004 to the posts in the Central Government service (except armed forces) are mandatorily covered under the said scheme. The Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 and other connected rules were also amended vide Notification dated 30.12.2003 and, after the said amendment, those rules are not applicable to the Government servants appointed to Government service after 31.12.2003.

2. Subsequently, Department of Pension and Pensioners' Welfare in consultation with the Department of Personnel & Training, Department of Expenditure and Department of Legal Affairs in the light of the various representations/references and decisions of Hon'ble Courts, issued instructions vide OM No. 57/04/2019-P&PW(B) dated 17.02.2020 giving one time option to Central Government employees who were declared successful for recruitment in the results declared on or before 31.12.2003 against vacancies which occurred before 01.01.2004 and were covered under the National Pension System on joining service on or after 01.01.2004, to be covered under the CCS(Pension) Rules, 1972 ( now 2021). There was fixed time schedule for different activities under the aforesaid OM dated 17.02.2020.

3. Representations have been received in this Department from the Government servants appointed on or after 01.01.2004 requesting for extending the benefit of the pension scheme under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 (now 2021) on the ground that their appointment was made against the posts/vacancies advertised/notified for recruitment prior to notification for National Pension System, referring to court judgments of various Hon'ble High Courts and Hon'ble Central Administrative Tribunals allowing such benefits to applicants.



4. The matter has been examined in consultation with the Department of Financial Services, Department of Personnel & Training, Department of Expenditure and Department of Legal Affairs in the light of the various representations/references and decisions of the Courts in this regard. It has now been decided that, in all cases where the Central Government civil employee has been appointed against a post or vacancy which was advertised/notified for recruitment/appointment, prior to the date of notification for National Pension System i.e. 22.12.2003 and is covered under the National Pension System on joining service on or after 01.01.2004, may be given a one-time option to be covered under the CCS(Pension) Rules, 1972 (now 2021). This option may be exercised by the concerned Government servants latest by 31.08.2023.

5. Those Government servants who are eligible to exercise option in accordance with para-4 above, but who do not exercise this option by the stipulated date, shall continue to be covered by the National Pension System.

6. The option once exercised shall be final.

7. The matter regarding coverage under the CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021), based on the option exercised by the Government servant, shall be placed before the Appointing Authority of the posts for which such option is being exercised for consideration, in accordance with these instructions. In case the Government servant fulfills the conditions for coverage under the CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021), in accordance with these instructions, necessary order in this regard shall be issued latest by 31<sup>st</sup> October, 2023. The NPS account of such Government servants shall, consequently, be closed w.e.f. 31<sup>st</sup> December, 2023.

8. The Government servants who exercise option to switch over to the pension scheme under CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021), shall be required to subscribe to the General Provident Fund (GPF). Regarding account of the corpus in the NPS account of the Government servant, Controller General of Accounts (CGA) has furnished the following clarification vide letter No. 1(7)(2)/2010/cia./TA III/390 dated 14.11.2019 & I.D. Note No. TA-3-6/3/2020-TA-III/cs-4308/450 dated 23.12.2022:

- i. **Adjustment of Employees' contribution in Accounts:** Amount may be credited to individual's GPF account and the account may be recasted permitting up-to-date interest (Authority-FR-16 & Rule 11 of GPF Rules).
- ii. **Adjustment of Government contribution under NPS in Accounts:** To be accounted for as (-) Dr. to object head 70 - Deduct Recoveries under Major Head 2071 - Pension and other Retirement benefit - Minor Head 911- Deduct Recoveries of over payment (GAR 35 and para 3.10 of List of Major and Minor Heads of Accounts).



iii. **Adjustment of increased value of subscription on account of appreciation of investments** – May be accounted for by crediting the amount to Govt. account under M.H. 0071- Contribution towards Pension and Other Retirements Benefits 800- Other Receipts (Note under the above Head in LMMHA).

9. **All Ministries/Departments are requested to give wide publicity to these orders without fail.** The cases of those Government servants who fulfill the conditions mentioned in this O.M. and who exercise option to switch over to the pension scheme under CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021) may be settled by the administrative Ministries/Departments in accordance with these orders.

10. This issues in consultation with Ministry of Finance, Department of Expenditure vide ID Note No. 1(7)/EV/2019 dated 05.12.2022 & 07.02.2023 and in consultation with Controller General of Accounts vide their I.D. Note No. TA-3-6/3/2020-TA-III/cs-4308/450 dated 23.12.2022.

11. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

12. Hindi version will follow.



03.03.2023  
(Sanjiv Narain Mathur)

Additional Secretary to Government of India

To,

1. All Central Government Ministries / Departments.
2. Department of Expenditure, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
3. C&AG, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
4. Ministry of Railways, Railway Board, for information, New Delhi.
5. Department of Personnel and Training, North Block, New Delhi.
6. Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi.
7. AD (OL) for Hindi version.
8. NIC for uploading on Department's website.

भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय  
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

राज्यसभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1886  
(दिनांक 16.03.2023 को उत्तर दिया जाना है)

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस)

1886 श्री जावेद अली खान:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या डीओपीएंडपीडब्ल्यू ने अपने नवीनतम संदर्भ के जवाब में, ओपीएसके तहत केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 01.01.2004 से पहले के लिए जारी किए गए थे, को कवर करने के आदेश जारी करने के लिए फरवरी, 2023 के दौरान जारी किए जाने वाले पुनरीक्षित कार्यालय ज्ञापन के साथ व्यय विभाग की सहमति प्राप्त कर ली है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या इस संबंध में सीएंडएजी और सीजीए सहित संबंधित प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के साथ परामर्श अब पूरा हो गया है;
- (घ) यदि हां, तो आदेश जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं; और
- (ङ) यदि नहीं, तो जानबूझकर परामर्श को टालने के क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ङ): पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों से टिप्पणियां/सहमति प्राप्त करने के पश्चात्, दिनांक 03/03/2023 के कार्यालय ज्ञापन सं. 57/05/2021-पीएंडपीडब्ल्यू (बी) द्वारा इस मामले पर सामान्य निर्देश जारी किए हैं। दिनांक 03.03.2023 के कार्यालय ज्ञापन की प्रति अनुबंध-1 में संलग्न है।

\*\*\*\*\*

सं.57/05/2021-पी&पीडब्ल्यू(बी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट,  
नई दिल्ली, दिनांक: 03 मार्च, 2023

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय:-**दिनांक 22.12.2003 को या उससे पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित पदों/रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के अधीन कवर किया जाना।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना सं.57/2003-ई.सी.बी. एंड पी.आर. द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) को लागू करने के परिणामस्वरूप, दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवा(सशस्त्र बलों को छोड़कर) के पदों पर नियुक्त हुए सभी सरकारी कर्मचारी, अनिवार्य रूप से उक्त योजना के अंतर्गत आते हैं। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 और अन्य संबंधित नियमों को भी दिनांक 30.12.2003 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया था और उक्त संशोधनों के बाद, ये नियम दिनांक 31.12.2003 के बाद सरकारी सेवा में नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं।

2. तत्पश्चात्, विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों और न्यायालय के निर्णयों के आलोक में, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, व्यय विभाग तथा विधि कार्य विभाग के साथ परामर्श करके, दिनांक 17 फरवरी, 2020 के का.जा. सं.57/04/2019-पी&पीडब्ल्यू(बी) द्वारा निर्देश जारी किए जिनके द्वारा ऐसे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को जिन्हें 01.01.2004 से पूर्व होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष दिनांक 31.12.2003 को या उससे पूर्व घोषित परिणामों में भर्ती के लिए सफल घोषित किया गया था और दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया था, उन्हें केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 (अब 2021) के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया गया। दिनांक 17.02.2020 के पूर्वोक्त कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों के लिए नियत समय-सारणी थी।

3. इस विभाग में, दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद नियुक्त सरकारी सेवकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 (अब 2021) के अधीन पेंशन योजना का लाभ देने का अनुरोध इस आधार पर किया गया है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू करने की अधिसूचना से पूर्व, भर्ती के लिए विज्ञापित/अधिसूचित पदों/रिक्तियों के सापेक्ष हुई थी, जिनमें विभिन्न ऐसे माननीय उच्च न्यायालयों और माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों के निर्णयों का संदर्भ दिया गया है, जिनके द्वारा आवेदकों को ऐसे लाभों की अनुज्ञा दी गई थी।

पृष्ठ 1/3

4. इस संबंध में न्यायालयों के निर्णयों और विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों के आलोक में विनियम सेवाएं विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, व्यय विभाग और विधि कार्य विभाग के परामर्श से मामले की जांच की गई है। अब यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी मामलों में, जहां केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात् दिनांक 22.12.2003 से पूर्व, विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात् सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया है, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972(अब 2021) के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया जाएगा। इस विकल्प का प्रयोग संबंधित सरकारी सेवक दिनांक 31.08.2023 तक कर सकते हैं।

5. ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी जो उपरोक्त पैरा 4 के अनुसार विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं, परंतु निर्धारित तारीख तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए जाते रहेंगे।

6. एक बार प्रयोग किया गया विकल्प, अंतिम होगा।

7. सरकारी कर्मचारी द्वारा विकल्प का प्रयोग करने के आधार पर, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972(अब 2021) के अधीन कवर करने से संबंधित मामले को, इन निर्देशों के अनुसार उस पद, जिसके लिए ऐसे विकल्प का प्रयोग किया गया है, के नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। यदि सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972(अब 2021) के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है, तो इन निर्देशों के अनुसार, इस संबंध में आवश्यक आदेश अधिकतम 31 अक्टूबर, 2023 तक जारी किया जाएगा। फलस्वरूप, ऐसे सरकारी सेवकों का एनपीएस खाता दिनांक 31 दिसंबर, 2023 से बंद कर दिया जाएगा।

8. ऐसे सरकारी कर्मचारी जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972(अब 2021) के अधीन पेंशन योजना में अंतरण करने के विकल्प का प्रयोग करते हैं, उन्हें सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) की सदस्यता लेनी होगी। सरकारी कर्मचारी के एनपीएस खाते में कॉर्पस के लेखाकरण के संबंध में, लेखा महानियंत्रक (सी.जी.ए.) ने दिनांक 14.11.2019 के पत्र सं 1(7)(2)/2010/cia./TA III/390 तथा दिनांक 23.12.2022 के आई.डी. नोट सं. टी.ए.-3-6/3/2020-टी.ए.-III/सी.एस.-4308/450 द्वारा निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है:

i. खातों में कर्मचारियों के अंशदान का समायोजन: रकम को व्यक्ति के सामान्य भविष्य निधि(जीपीएफ) खाते में जमा किया जाए और आज की तारीख तक के ब्याज को अनुज्ञात करते हुए, खाते का पुनःनिर्धारण किया जाए (प्राधिकार एफ.आर.-16 और सामान्य भविष्य निधि(जी.पी.एफ.) नियमावली का नियम 11)।

पृष्ठ 2/3

✓स . ✓न . सी

- ii. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत खातों में सरकारी अंशदान का समायोजन : वस्तु शीर्ष 70 - मुख्य शीर्ष 2071 के तहत कटौती वसूली - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ - लघुशीर्ष 911- अधिक भुगतान की कटौती वसूली में (-) डेबिट के रूप में लेखे हेतु लिया जाए (जी.ए.आर. 35 तथा लेखा के मुख्य और लघु शीर्षों की सूची का पैरा 3.10)
- iii. निवेशों के अधिमूल्यन के कारण अभिदान के वर्धित मूल्य का समायोजन : मुख्य शीर्ष 0071- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के लिए अंशदान 800 - अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत रकम को सरकारी खाते में जमा करके लेखाबद्ध किया जाएगा (एल.एम.एम.एच.ए. में उपर्युक्त शीर्ष के तहत टिप्पणी)।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इन आदेशों का अनिवार्य रूप से व्यापक प्रचार करें। ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी, जो इस कार्यालय ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों को पूरा करते हैं और जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972(अब 2021) के अधीन पेंशन योजना में अंतरण करने के विकल्प का प्रयोग करते हैं, के मामलों का, प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा इन आदेशों के अनुसार निपटारा किया जाए।
10. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 05.12.2022 और 07.02.2023 के आई.डी. नोट सं.1(7) EV/2019 के परामर्श से तथा लेखा महानियंत्रक (सी.जी.ए.) के दिनांक 23.12.2022 के आई.डी. नोट सं. टी.ए.-3-6/3/2020-टी.ए.-III/सी.एस.-4308/450 के परामर्श से जारी किया जाता है।
11. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन, यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् जारी किए जाते हैं।

  
 (संजीव नारायण माथुर)  
 अपर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
3. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली
4. रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली, सूचनार्थ
5. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
6. वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली
7. एन.आई.सी. को इस विभाग के वेबसाइट पर डालने हेतु।

पृष्ठ 3/3